**राजस्थान सरकार**
**निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं**

क्रमांकः– एफ.12 ( )वि.स./ए.पी.ए.आर/आईसीडीएस/18/30781-813 जयपुर, दिनांकः 16-2-18

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :–14वी विधानसभा के दशम सत्र (बजट सत्र) का अतारांकित प्रश्न संख्या 2763/कार्मिक द्वारा श्री रमेश, (135) माननीय विधानसभा सदस्य के प्रतिउत्तर भिजवाने बाबत।

प्रसंगः– कार्मिक (क–1गो0प्र0) विभाग के पत्र दिनांक 09.02.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि प्रकरण में बिन्दुसंख्या 01 की सूचना निम्न प्रपत्र में संलग्न कर लेख है कि आप अपने जिले की सूचना आज ही निदेशालय को जरिये ई–मेल ddwfp.wcd@rajasthan.gov.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें,

**विभागीय राज्य सेवा एवं राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिनांक 24.01.18 तक सम्पत्ति की घोषणा करने/नहीं करने वालो की सूची**

| क्र. स. | परियोजना का नाम | अधिकारी का नाम मय पदनाम | IPR 2018 प्रस्तुत की गई अथवा नही (हॉ/ना) | IPR 2018 प्रस्तुत करने की दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(डॉ. अनुराधा गोगिया)
उप निदेशक (विखाका)
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.12 ( )वि.स./ए.पी.ए.आर/आईसीडीएस/18/30814 जयपुर, दिनांकः 16-2-18

प्रतिलिपिः– ए.सी.पी. एवं उप निदेशक, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप निदेशक (विखाका)

# राजस्थान विधान सभा सचिवालय

संख्या: 2196/सत्र-10/प्र.शा./वि.स./2018

अग्रिम प्रतिलिपि:-

जयपुर, दिनांक: 01/02/2018

(1) अतिरिक्त मुख्य/प्रमुख/शासन सचिव,
कार्मिक विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर ।

(2) अतिरिक्त प्रति,
कार्मिक विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर ।

(3) निजी सचिव,
कार्मिक मंत्री/राज्य मंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर ।

(4) प्रभारी अधिकारी, चौकिंग सेक्शन,
शासन सचिवालय, जयपुर को,
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

मंत्री द्वारा दिये जाने वाले प्रश्न के उत्तर की 20 प्रतियां अथवा एक से अधिक मा. सदस्य का नाम, प्रश्न में होने की स्थिति में उतनी ही अतिरिक्त प्रतियां इस सचिवालय को भेजने की कृपा करें।

इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि प्रश्न का उत्तर मुद्रित प्रश्न सूची के अनुसार ही हो ।

सचिव

---

**अतारांकित प्रश्न**

प्रश्न संख्या : 2753/कार्मिक

प्रश्न प्राप्त होने की दिनांक: 24/01/2018

मा. सदस्य का नाम : श्री [illegible] (135)

[illegible] विधानसभा क्षेत्र

्या कार्मिक मंत्री/राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

. प्रदेश में किस-किस विभाग के कितने एवं किस-किस श्रेणी के अधिकारियों द्वारा अब तक अपनी म्पत्ति का विवरण नहीं दिया गया है? विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

. सरकार के नियमानुसार प्रतिवर्ष कब तक संपत्ति की घोषणा करना आवश्यक है? अधिकारियों द्वारा ब-कब निर्धारित अवधि पश्चात् संपत्ति घोषित की गई? विगत चार वर्षों का विवरण सदन की मेज पर खें।

. सरकार द्वारा जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2017 तक प्रतिवर्ष समय पर संपत्ति घोषित नहीं करने वाले धिकारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? [illegible] नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।